



कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेस), बाड़मेर

क्रमांक : प.19(469)(1) महात्मा गांधी नरेस / 2017-18 / ३५३ ६

दिनांक : २५/५/१८

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश २४५५/ 2017-18

राज्य सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक : एफ4(5)युक-३ / एनआरईजी / 2005 दिनांक 13.2.2006 के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान की वर्ष 2015-2016 की जिला परिषद पचायत समिति एवं शाम पचायत ह्वारा अनुमोदित कार्य योजना में से कार्यकारी विभाग / पचायत समिति सिवाना से प्राप्त एवं सक्षम अधिकारी के ह्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पर निम्नलिखित ९ कार्य हेतु राशि 27.00 अक्षरे सताईस लाख रुपये मात्र की वित्तीय स्वीकृति उनके सम्मुख अकित अनुसार के आधार पर कार्यकारी अभिकरण को एतद ह्वारा प्रदान की जाती है। कार्यकारी अभिकरण इस कार्य को मार्गदर्शिका एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार तत्काल प्रारम्भ करवाकर निर्धारित कार्य में अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

पंचायत समिति सिवाना

क्र.सं. वा. कार्य क्रमांक	कार्य का नाम	टांका	कैटलश ड	कैरियर यूनि सुधार कार्य	योग लाइसेंस एवं लामर्थी हेतु लासरी/एसटी/कोमोएल क्र.	राजस्व ग्राम लाइसेंस एवं लामर्थी हेतु लासरी/एसटी/कोमोएल क्र.	कार्यकारी एजेंसी :- ग्राम पंचायत पक्ष		स्वीकृति (लाखों में)		
							तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	श्रम सामग्री योग	वित्तीय स्वीकृति शाश्वत कार्य अवधि		
1	1104 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य हीजाराम / खेताराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	SI	पट	140	24.01.18	1.83	1.17
2	1105 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य खुठाराम / दरगाराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	1881592	पट	145	24.01.18	1.83	1.17
3	1106 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य खीमाराम / गुणेशाराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	SC	पट	141	24.01.18	1.83	1.17
4	1108 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य खीमाराम / हाजाराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	SC	पट	139	24.01.18	1.83	1.17
5	1119 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य हीजाराम / कस्ताराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	5582218	वावनगर	147	24.01.18	1.83	1.17
6	1120 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य जगाराम / हथानाराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	5582215	वावनगर	144	24.01.18	1.83	1.17
7	1121 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य गीगाराम / सोडाराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	5542216	वावनगर	146	24.01.18	1.83	1.17
8	1123 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य वरचनाराम / पाखुराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	1881510	पट	142	24.01.18	1.83	1.17
9	1124 टांका निमांण एवं मेडबन्डी निमांण कार्य यारीदेवी / छागाराम के खेत में	1.02	0.40	1.58	3.00	SC	पट	143	24.01.18	1.83	1.17
	योग									16.47	10.53
											27.00
	राशि अक्षरे सताईस लाख रुपये मात्र										

उपरोक्त समर्त कार्य निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षिण करवाये जावें :-

/P

महात्मा गांधी नरेस / 2017-18 / ३५३६

- १ करने से पूर्व प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यों की देखरेख हेतु एक मॉनिटरिंग केमेटी का गठन किया जाना आवश्यक होगा। केमेटी गठन से पूर्व किसी भी सूचत में कार्य करने नहीं करवाया जावे केमेटी की सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में कार्य का समायोजन नहीं होगा।
- २ नम नहीं करवाया जावे केमेटी की सत्यापन रिपोर्ट के कार्य का समायोजन नहीं होगा।
- ३ वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्य ही प्रारम्भ किये जाये यदि बिना अनुमोदित के कार्य प्रारम्भ करवाया गया तो आप स्वयं की जिम्मेदारी होगी एवं किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
- ४ योजना के तहत स्थीकृत किये जाने वाले खड़ीन कार्य / वंधा निर्माण / मिट्टी का बच्चा निर्माण का कार्य सरकारी भूमि पर ही करवाया जावे। किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी भूमि / निजी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे। यदि निर्माण कार्य करवाया गया तो किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा तथा कार्यक्रम अधिकारी की व्यक्तिगत विशेष की खातेदारी जिम्मेदारी होगी।
- ५ योजना में प्रार्थी इस योजनानामति पूर्व में लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
- ६ व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में अनुसृचित जाति / जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को ही स्थीकृत किये जाने हैं। तकनीकी स्थीकृति से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जावे की प्रार्थी अनुसृचित जाति / जनजाति या बीपीएल चयनित परिवार का सदस्य हो।
- ७ व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य आदेश से पूर्व खसरा नम्बर / जमा बट्टी की नकल आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे। व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों का भैतिक सत्यापन कराये जावे। इन कार्यों की फोटों कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य में एवं कार्य की समाप्ति के उपरान्त आवश्यक रूप से ली जावे।
- ८ व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में प्रत्येक कार्य पर सामग्री मद में कुल व्यय का 40 प्रतिशत से अधिक अनुमत नहीं है। लाभार्थी जॉब कार्डधारी एवं परियोजना में कार्यरत होना आवश्यक है। उक्त श्रेणी के कार्यों में लाभार्थी के परिवार में कोई राज्य कर्मचारी है तो उन्हें उक्त कार्य आरम्भ नहीं करवाया जावे।

दिनांक : २५/५/१८



 (श्री शुभेश कुमार दाढ़ीच)
 ६८ जिला कार्यक्रम समन्वयक
 एवं जिला कलबटर बाड़मेर

दिनांक : २८/५/१८

क्रमांक : प १९(४६७)(१) महात्मा गांधी नरेस / 2017-18 / ३५३७-५५

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

१. माननीय जिला प्रमुख, जिला परिषद, बाड़मेर
२. माननीय सांसद, बाड़मेर-जैसलमेर
३. श्री विधानसभा क्षेत्र
४. उपरखण्ड अधिकारी / ब्लॉक कोडिनेटर पंचायत समिति
५. प्रधान पंचायत समिति
६. कार्यक्रम अधिकारी / विकास अधिकारी पंचायत समिति
७. आईईसी मेनेजर जिला परिषद, बाड़मेर।
- ८ सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बाड़मेर।


 (महात्मा गांधी नरेस, बाड़मेर)
 ०८ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
 महात्मा गांधी नरेस, बाड़मेर